

**झारखण्ड सरकार**  
**जल संसाधन विभाग**

पत्र सं०-08/ज०सं०(नि०) ल०सि०-दु०-07/2009 ...../राँची, दिनांक : .....

**आदेश**

मो० रउफ, तत्कालीन लिपिक, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह के विरुद्ध निम्नलिखित आरोपों के लिए विभागीय संकल्प ज्ञापांक- 2885 दिनांक-28.05.2013 द्वारा पेंशन नियमावली के नियम-43बी० के तहत विहित रीति से विभागीय कार्यवाही संचालित किया गया :-

(क) जीतपुर तालाब प्रखण्ड, गिरिडीह के निर्माण कार्य में 945.00 घनमीटर मिट्टी की प्रवृष्टि हार्ड स्वायल मद में गलत मंशा से करना।

2. उक्त संचालित विभागीय कार्यवाही में संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में किसी आरोप को प्रमाणित नहीं पाया गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की गहन समीक्षा विभागीय स्तर पर किया गया। सम्यक् समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में निहित निष्कर्ष से सहमत होते हुए मो० रउफ, तत्कालीन लिपिक, सम्प्रति सेवानिवृत्त को आरोप मुक्त करते हुए उनके विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही को निस्तारित करने का निर्णय लिया गया।

उक्त आदेश पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव

ज्ञापांक : 3457 .....राँची/दिनांक 02/7/19

प्रतिलिपि :- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी) झारखण्ड, राँची/संयुक्त सचिव(प्र०)जल संसाधन विभाग, राँची/अवर सचिव, प्रभारी प्रशाखा-04, जल संसाधन विभाग, राँची/कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमण्डल, गिरिडीह/मो० रउफ, तत्कालीन लिपिक, सम्प्रति सेवानिवृत्ति, ग्राम-खलपुरा, पो०-गुलटेनगंज, थाना-जिला-छपरा/वेब मैनेजर, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

*(Handwritten signature)*

(विनय कुमार)

सरकार के अवर सचिव